

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2024—आश्विन 19, शक 1946

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, नगर परिषद् बोडा, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

बोडा, दिनांक 30 सितम्बर 2024

क्र. स्था.—2024—1131.— दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबन्धों के अधीन नगर परिषद् बोडा, जिला राजगढ़ की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची—एक  
नगर परिषद् बोडा, जिला राजगढ़

**अनुसूची-दो**  
**दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन**

क्र.	श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग निःशक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या	दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोपीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है: संभव पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेशिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)	योग (7+8+ 9+10)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (नियमित)	7	0	0	0	0	0	0	0	—
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	13	20	1	0	0	1	0	1	—
योग :-			20	20	1	0	0	1	0	1	—

रामलाल कुशवाह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.